Popular Front of India

+91 11 2 9949902
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/PopularFront EMedia
/pfiofficial

प्रेस रिलीज़

15 जनवरी 2020
नई दिल्ली

मीडिया द्वारा बदनाम करने की साजिश के ख़िलाफ करेगें क़ानूनी कार्यवाहीः पॉपुलर फ्रंट

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव एम. मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ''बीजेपी सरकार मीडिया के एक वर्ग की सहायता से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ सरासर झूठी बातें फैलाकर सीएए–एनआरसी–एनपीआर के विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शनों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। संगठन को बदनाम करने के अभियान के इस नए सिलसिले के द्वारा, कठपुतली मीडिया इस नाकाम सरकार के एजेंडे को बढ़ावा देने का काम कर रही है। रिपब्लिक टीवी सहित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और टीवी मीडिया का एक वर्ग पॉपुलर फ्रंट पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। उनके ख़िलाफ हम क़ानूनी कार्यवाही का रास्ता अपनाएंगे, जैसा कि हमने पहले भी किया था।''

''रिपब्लिक टीवी की हालिया अपमानजनक ख़बरों पर संगठन पहले ही उसको क़ानूनी नोटिस भेज चुका है। इससे पहले 2018 में, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की शिकायत पर समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) ने रिपब्लिक टीवी को चेतावनी जारी की थी। लेकिन चैनल ने अब यह साबित कर दिया है कि वह खुद को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है।''

वर्ष 2012 में पॉपुलर फ्रंट ने डेक्कन क्रॉनिकल, हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक जागरण सहित कुछ प्रिंट मीडिया के ख़िलाफ प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया में 10 शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिसके बाद उन्हें निम्नलिखित निर्देश देते हुए चेतावनी जारी की गई थीः ''कोई भी समाचार प्रकाशित करते समय, किसी संगठन का नाम लेने और उस पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी कोई भी ख़बर प्रकाशित करने से पहले पूरी जांच कर लेनी चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। समाचार पत्र को चाहिए कि वह आगे इसका पूरा ख़्याल रखे और इस तरह के गंभीर आरोप लगाने से पहले पूरी जांच कर ले। हम समझते हैं कि यह निर्देश सांप्रदायिक सौहार्द्र को बनाए रखने और इस देश के सेक्युलर ताने–बाने को बाक़ी रखने के लिए ज़रूरी है।

मोहम्मद अली जिन्ना ने कहाः ''इसके अलावा पत्रकारिता के उसूल भी स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि जनहित के मामलों से जुड़ी ख़बरों, विचारों, टिप्पणियों और जानकारियों को निष्पक्ष, उचित, सटीक, सादा और सभ्य तरीके से पेश करके जनता की सेवा करना ही पत्रकारिता का मौलिक उद्देश्य है.... मीडिया को अनुचित, बेबुनियाद, बेतुके, भ्रामक और फेरबदल की गई सामग्रियों से बचना चाहिए। असल मुद्दे या मामले के सभी पहलुओं को सामने रखना ज़रूरी है। अफवाहों और अनुमानों को तथ्यों के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए। जनहित में जब भी कोई समाचार या लेख मिले, जिसमें किसी नागरिक के ख़िलाफ आरोप या टिप्पणी मौजूद हो, तो संपादक को चाहिए कि वह पूरी सावधानी के साथ उसे परखे और दूसरे सही माध्यमों से उसकी जांच करने के साथ–साथ उस व्यक्ति या संगठन से भी संपर्क करके इस बारे में उसकी राय, टिप्पणी या प्रतिक्रिया भी मालूम करे और आवश्यकतानुसार उसे ठीक–ठाक करके उसे भी समाचार के साथ प्रकाशित करे।

मोहम्मद अली जिन्ना ने इस ओर इशारा किया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ हालिया ख़बरों को प्रकाशित करते समय, उपरोक्त बातों पर अमल नहीं किया गया है, बल्कि इसके बजाय उनका खुला उल्लंघन किया गया है। इसलिए अब एकमात्र रास्ता यही है कि उन्हें बेनक़ाब किया जाए और न्याय के कटघरे में उन्हें खड़ा किया जाए।

डॉ. मोहम्मद शमून
डायरेक्टर, जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली